



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/27/2020/एफ.सी.

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद-अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक टिंगैर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.925 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No- FP/UK/ROAD/19494/2026).

सन्दर्भ: कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1874/12-1: देहरादून: दिनांक- 04.04.2026.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30.06.2023 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनायें चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमें कुछ त्रुटियाँ पायी गई राज्य सरकार से अनुरोध है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. Earlier, an EDS was raised on 30.06.2023, wherein the concerned DFO was requested to submit a detailed report regarding violations under the provisions of the Indian Forest Act, 1927 and the FCA, 1980. However, the requisite report has not been submitted to date. Accordingly, the concerned DFO is once again requested to conduct a site inspection and submit a comprehensive report indicating whether any violation of the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 has occurred. The report should clearly specify:
 - The extent of the violation area, including its length and width.
 - The Nature and details of Violation.
 - The action taken or proposed to be taken against the responsible agency/person(s), if any.

The report may be furnished at the earliest for further examination of the proposal.

उपरोक्त में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।